# न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :– [illegible]  दिनांक :– 01.12.2017

## विज्ञप्ति

इस अधिकरण में वर्तमान में अस्थाई रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 6 पद रिक्त है, जिनमें से 5 सामान्य वर्ग ( एक महिला वर्ग हेतु आरक्षित) व 1 ओबीसी वर्ग के है। रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक कारणों से घटाई बढ़ाई जा सकती है। उक्त रिक्त पदों हेतु रनिंग पे बेण्ड–1 5200–20,200, ग्रेड पे 1700/– रूपयें प्रतिमाह में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना ए–11 (7) वित्त/(नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के अंतर्गत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 6670/– रूपयें प्रतिमाह (प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत पारिश्रमिक पर उक्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते है। दो वर्ष की अवधि संतोषप्रद होने पर ही उसका कार्यकाल बढ़ाया जावेगा एवं नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देय होगा।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15 (7)एफ.डी (रूल्स)/97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ12(8)एफ.डी (रूल्स)/05 दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अशदायी पेंशन योजना मेडीकल अटेण्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण संबधी सभी नये नियम लागू होंगे।

1. आयु:–

   आवेदक की आयु दिनांक **01.01.2018 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/ महिलाओं/विकलांग व अन्य आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

2. शैक्षणिक योग्यता :–

   उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम **पांचवी कक्षा उत्तीर्ण** किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।

3. शारीरिक योग्यता :–

   अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. पात्रता एवं चरित्र :–

   आवेदक को अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार ना हो एवं 6 माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे। किसी आरक्षण को दावाकृत करने की स्थिति में उसका संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. नागरिकता :–

   अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो या उक्त नियमों के नियम–11 के अनुसार अहर्ता प्राप्त हो।

6. नियुक्ति के लिए निरर्हता :–

   (अ) कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दिनांक 01.06.2002 या उसके पश्चात 02 से अधिक संतानें है।

   (ब) कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दें।

   (स) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

7. विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करें तथा जिन आशार्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या इसके पश्चात हुआ है वे विवाह पंजीयन

प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें तथा दिनांक 22.05.2006 के पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित आशार्थी संलग्न प्रारूप में (जो भी लागू हो) शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

8. प्रत्येक आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर दंडित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्व किसी प्रकार का कोई दंडिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लंबित है तो उसका विवरण शपथ पत्र में प्रस्तुत करेगा।

9. <u>आवेदन पत्र :–</u>

अभ्यर्थी को अपना आवेपत्र पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखनी से लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर (यदि हो तो) राष्ट्रीयता का उल्लेख हो, तथा नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व वैधता की अवधि अंकित हो। प्रार्थना पत्र पर अपना स्वयं का हस्ताक्षरित रंगीन फोटोग्राफ, जो सत्यापित हो, चस्पा किया जावें। प्रार्थना पत्र के अंत में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। इस विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित करें।

10. <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :–</u>

आवेदन पत्र दिनांक **18.12.2017 को सायं 5.00 बजे तक** इस न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर में प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र, वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां, आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर एवं अन्य किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा व इसकी अलग से कोई सूचना आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।

11. <u>साक्षात्कार :–</u>

**आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जावेंगे, उनकी सूची दिनांक 22.12.2017 को इस न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी। साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 02.01.2018 को** मध्यान्ह पश्चात **1.30 बजे से** न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, **धौलपुर के अवकाशागार में लिया जावेगा।** उक्त दिवस को सभी आवेदकों के साक्षात्कार पूर्ण न होने की स्थिति में शेष रहे आवेदकों के साक्षात्कार अगले कार्य दिवस को उक्त समय व उक्त स्थान पर ही लिए जावेंगे, जिसकी सूचना अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी, **तथा पृथक से किसी भी आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी।** किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। आवेदक ने जिन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन के साथ संलग्न की है, उनके मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवें। भर्ती नियमों में वांछित पात्रता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र होगा। पात्रता के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

12. **आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जावें :–**

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां।
2. आयु सीमा में छूट के संबध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. जिस शैक्षणिक संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूपमें अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, उस पर विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
4. अन्य दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से अधिक पुराने ना हों
5. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
6. यदि आवेदक अविवाहित है, या उसका विवाह 22.05.2006 से पूर्व हुआ है, तो उसे इस आशय का शपथ पत्र 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर संलग्न करना होगा। जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05.2006 को या उसके पश्चात हुआ है, उन्हें

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

7. आवेदक को 100/– रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित) यह शपथ पत्र देना होगा कि दिनांक 01.06.2012 को अथवा उसके पश्चात उसके दो से अधिक संतान नहीं है।
8. विवाहित आवेदक दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र आवेदन के साथ आवश्यक रूप से संलग्नित करें।
9. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागध्यक्ष की स्वीकृति पत्र की सत्याप्रति छाया प्रति संलग्न करें अथवा आवेदन पत्र अग्रेषित कराकर प्रेषित करें।
10. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति।

13. अयोग्यता का आधार :–

जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को साक्षात्कार में उत्तीर्ण कराने का कोई अनुचित प्रयास करेगा उसे अयोग्य माना जावेगा।

14. साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किए जाने पर उसकी सूचना न्यायालय/अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी। किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नही की जावेगी।

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
धौलपुर (राज.)

1719 से 1726 दिनांक [illegible].12.2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. श्रीमान प्रमुख सचिव, विधि एवं विधिक विभाग,राजस्थान सरकार (जयपुर)
2. श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)
3. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, भगवानदास रोड़ अशोक नगर जयपुर (राज.)
4. श्री जिला रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय धौलपुर
5. श्री सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, धौलपुर
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, धौलपुर
7. रक्षित पत्रावली
8. न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
धौलपुर (राज.)

# संतान संबंधी घोषणा– पत्र

मैं ........................................................... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..........................

.......................... निवासी .................................................... तहसील ...........................

जिला ................................ एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या इसके बाद तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

या

मैं ........................................................... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..........................

.......................... निवासी .................................................... तहसील ...........................

जिला ................................ एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मैं अभी अविवाहित हूं।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

प्रपत्र – 06

## शपथ– पत्र

मैं ........................................ पुत्र / पुत्री श्री ........................................

निवासी ........................................ तहसील ........................ जिला ....................

शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि मेरा विवाह श्रीमती / श्री ........................................

निवासी .............................. तहसील...................... जिला ........................ के साथ सम्पन्न

हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक ........................................

को सम्पनन होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मेरा विवाह श्रीमती / श्री ........................................ निवासी ..........................

तहसील ...................... जिला ........................ के साथ दिनांक ........................................

को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं ........................................ अविवाहित हूं।

या

मैं ........................................ विधुर / विधवा हूं।

(पति / पत्नी, श्री / श्रीमती ........................................)

या

मैं ........................................ तलाकशुदा हूं।

(पति / पत्नी, श्री / श्रीमती ........................................)

या

मैं परित्यक्ता हूं एवं मेरा विवाह श्री ........................................ के साथ

दिनाक ........................ को सम्पन्न हुआ था।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथकर्ता

# चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

| आवेदक का पासपोर्ट साईज |
|---|

1. नाम अभ्यर्थी ..........................................
2. पिता का नाम ..........................................
3. माता का नाम ..........................................
4. पति/पत्नि का नाम ..........................................
5. जन्मतिथि दिनाक .......... माह .......... वर्ष ..........

   शब्दों में ..........................................
6. जाति :– अभ्यर्थी जिस वर्ग का सदस्य है, उस पर सही () का निशान करे।

   सामान्य / अ जा / अ ज जा / अ पि व / भू पू सै / महिला / विधवा / परित्यक्ता
7. वर्तमान पता :– ..........................................

   ..........................................
8. स्थाई पता :– ..........................................

   ..........................................
9. शैक्षणिक योग्यता :– ..........................................
10. वर्तमान में सेवारत है तो :–

    पद :– .......... नियुक्ति दिनांक .......... विभाग..........
11. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम :– ..........................................
12. विवाह की दिनांक :– ..........................................
13. जीवित संतानों की संख्या :– ..........................................
14. मोबाइल नंबर (यदि हो तो) :– ..........................................
15. संलग्न दस्तावेज

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | |
| 2 | | 7 | |
| 3 | | 8 | |
| 4 | | 9 | |
| 5 | | 10 | |

दिनांक :–

हस्ताक्षर प्रार्थी मय नाम